न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 76 / 2024(GCMS 2024/290)
(आरटीआई संख्या)

श्री राजाराम पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (मोबाईल नं. 99823–93210)

बनाम

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

14.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजाराम स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को वांछित सूचना निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने, के लिए यह अपील पेश है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजाराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न 01 बिन्दु की सूचना चाही थीः

मुकद्दमा नम्बर 54 / 1996 सीगा 11 / 14 अनवान राजाराम बनाम हरि सिंह, पत्रावली की समस्त प्रमाणित नकल। (निर्णय दिनांक 05.08.1996)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, **कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक जि.अभि./2024/174 दिनांक 28.11.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2024 को प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा नं. 54/1996 सीगा 11/14 अनवान राजाराम बनाम हरिसिह, निर्णय दिनांक 05.08.1996 पत्रावली की समस्त प्रमाणित नकल चाही गई हैं। अतः आप द्वारा चाही गई नकल की पत्रावली इस कार्यालय के पत्रांक 312 दिनांक 22.05.1997 को राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई हुई है। इसलिए आप द्वारा चाही गई नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि इस कार्यालय से दी जानी संभव नहीं है।

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:38 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **प्रभारी अधिकारी, जिला** अभिलेखागार, **कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर.** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:38 IST
Reason: SelfAttested